

**सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय**  
**OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS**  
**सीमाशुल्क गृह CUSTOM HOUSE : कोचिन COCHIN- 682 009.**

**व्यापार सुविधा TRADE FACILITY No.5/2009**

**विषय:** विदेश व्यापार नियम के अध्याय 3 के अधीन सुविधाओं का दावा करते हुए मुफ्त लदान पत्र के अधीन किए गए निर्यात - सम्बंधित.

**Sub:** Exports made under free shipping bill claiming benefits under Chapter 3 of the Foreign Trade Policy – Reg.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड के परिपत्र सं.01/2009-कस दिनांक 13.01.2009 और 26/2009 दिनांक 30.09.2009 के पैरा 3.23.8 of HBP-2008 और पैरा 3.11.8 of HBP-2009 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। उपर्युक्त के अनुसार निर्यातक, एफटीपी के अध्याय 3 के अधीन स्वीकार्य सुविधाओं के दावे का इरादा, मुफ्त लदान पत्रों में घोषणा करते हुए निम्न तरीके से करेंगे :

Attention is invited to CBEC circular Nos.01/2009-Cus dated 13.01.2009, 26/2009 dated 30.09.2009, Para 3.23.8 of HBP-2008 and Para 3.11.8 of HBP-2009. As per the above, the exporter shall state the intention to claim benefits under Chapter 3 of the FTP by declaring on the Free Shipping Bills as under:

‘मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम एफटीपी के अध्याय 3 के अधीन स्वीकार्य सुविधाओं का दावा करेंगे’। व्यापार ने निवेदन किया है कि ईडीआई लदान पत्र में उपर्युक्त घोषणा देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

‘I/We, hereby declare that I/We shall claim the benefits, as admissible, under Chapter 3 of FTP’. Trade has represented that there is no provision to give the above declaration in the EDI Shipping Bills.

मामले का परीक्षण किया गया। ईडीआई के सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन लाने तक निर्यातक/ सीमाशुल्क एजेंट, एफटीपी के अध्याय 3 के अधीन स्वीकार्य सुविधाओं के दावे का इरादा, लदान पत्र में माल के विवरण घोषित करने के लिए दिए गए स्थान में कर सकते हैं।

The matter has been examined. Till suitable modification is made in the EDI software, exporters/ CHAs may declare their intention to claim benefit under Chapter 3 of FTP in the space available for declaring the description of the goods in the Shipping Bill.

उपर्युक्त के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो तो उसे अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जाए।

Difficulties, if any, in implementation of the above may be brought to the notice of the undersigned.

Sd/-

(बी.सैयद मोहम्मद B. SYED MOHAMMED)

आयुक्त COMMISSIONER

F.No. EDP/06/2009-Cus

F.No. C1/01/2009-TU

तारीख Dated: 19.10.2009

// अनुप्रमाणित ATTESTED //

(के.ए. जथिन K.A. JATHIN)

मूल्यनिरूपक (टैरिफ यूनिट) APPRAISER (TARIFF UNIT)

सेवा में/To: सभी को डाक सूची के अनुसार/All Concerned, as per Mailing list.

प्रतिलिपि Copy to:

1. Notice Board.
2. Commissioner's file / Addl. Commissioners / Jt. Commissioner / All D.Cs & A.Cs/ Development Commissioner (CSEZ) / All Appraisers / All Sections / Guard File.